भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *318
दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन-औषधि दुकानें

***318. श्री गौतम सिगामणि पोनः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लोगों को किफायती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए राज्य के प्रत्येक अस्पताल में जन-औषधि दुकानें खोलना सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में उक्त आदेश के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में राज्य सरकारों ने कोई फीडबैक दिया है;

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन जन औषधि दुकानों को अस्पताल क्षेत्रों में खोलने में कौन से राज्य पिछड़ रहे हैं; और

(ङ) उन राज्यों, जहां अब तक ये दुकानें नहीं खुली हैं के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है और राज्य सरकारों द्वारा अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 318 (18वां स्थान) के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारतीय फार्मा पीएसयू ब्यूरो (बीपीपीआई) प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की कार्यान्वयन एजेंसी है जो भारत सरकार, औषध विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करती है। बीपीपीआई और औषध विभाग ने सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए किराया मुक्त स्थान प्रदान कराने के लिए सभी राज्यों के प्रधान सचिवों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) को पत्र लिखे हैं।

(ख): दिनांक 05.12.2019 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 5845 जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। इसमें से, 895 सरकारी परिसरों में कार्य कर रहे हैं। दिनांक 01.04.2018 से सरकारी परिसरों में 347 आउटलेट खोले गए हैं। सरकारी परिसरों में कार्यरत जन औषधि केंद्रों की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I के रूप में सलंग्न है।

(ग): बीपीपीआई और औषध विभाग द्वारा किए गए अनुरोध के जवाब में, विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रत्युत्तर दिया है और अपने राज्यों में प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कार्यान्वित की है। उन्होंने कार्यान्वयन संबंधी जानकारी दी है जिन्हें बीपीपीआई द्वारा संबंधित राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में शामिल किया गया है। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का विवरण अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

(घ): सरकारी परिसरों में कार्य कर रहे जन औषधि केंद्रों की राज्य-वार सूची और उन राज्यों की सूची, जो अस्पताल के क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र खोलने में पीछे चल रहे हैं, अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।

(ङ): नागरिकों को वहनीय मूल्यों में गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए अधिकाधिक सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने हेतु औषध विभाग ने इन राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों और जिला न्यायाधीशों को अनुरोध पत्र लिखे हैं। बीपीपीआई ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्थान प्रदान करने के लिए इन राज्यों से अनेक बार अनुरोध किया है और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की हैं। इस दिशा में सकारात्मक प्रगति की जा रही है।

अनुलग्नक-I

'जन औषधि दुकानों' के संबंध में श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा पूछे गए दिनांक 10.12.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *318 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 05.12.2019 की स्थिति के अनुसार देश भर में कार्यरत जन औषधि केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा							
क्र.सं.	राज्य/राज्य संघ क्षेत्र का नाम	दिनांक 05.12.2019 की स्थिति के अनुसार जन औषधि केन्द्रों की कुल संख्या		वित्त वर्ष 2018-19 में खोले गए जन औषधि केन्द्र		दिनांक 05.12.2019 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में खोले गए जन औषधि केन्द्र	
		सरकारी परिसर	निजी परिसर	सरकारी परिसर	निजी परिसर	सरकारी परिसर	निजी परिसर
1	अंडमान एवं निकोबार	2	0	2	0	0	0
2	आन्ध्र प्रदेश	35	150	3	42	1	5
3	अरूणाचल प्रदेश	21	3	0	0	0	0
4	असम	4	79	1	22	0	8
5	बिहार	33	120	8	39	8	7
6	चंडीगढ़	4	2	0	1	0	1
7	छत्तीसगढ़	167	42	7	4	0	4
8	दादर एवं नगर हवेली	0	14	0	6	0	1
9	दमन एवं दीयू	0	4	0	1	0	0
10	दिल्ली	10	114	1	34	3	44
11	गोवा	6	2	6	2	0	0
12	गुजरात	0	512	0	220	0	51
13	हरियाणा	7	164	6	55	1	31
14	हिमाचल प्रदेश	13	46	3	23	0	5
15	जम्मू एवं कश्मीर	37	43	2	19	23	5
16	झारखंड	14	42	1	9	0	4
17	कर्नाटक	161	425	33	157	15	98
18	केरल	6	493	2	121	1	48
19	लद्दाख	3	0	0	0	1	0
20	लक्ष्यदवीप*	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	4	150	2	68	0	24
22	महाराष्ट्र	1	400	0	131	0	78
23	मणिपुर	26	9	0	0	0	0
24	मेघालय	0	1	0	0	0	0
25	मिजोरम	9	12	6	3	0	4
26	नागालैंड	14	2	3	1	0	1
27	ओडिशा	22	166	0	71	0	44
28	पुडुचेरी	0	15	0	3	0	1
29	पंजाब	29	162	3	62	1	43
30	राजस्थान	35	99	14	17	5	10
31	सिक्किम	0	2	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	3	574	2	205	0	79
33	तेलंगाना	2	116	0	34	0	6
34	त्रिपुरा	22	2	1	1	0	0
35	उत्तर प्रदेश	142	748	126	172	14	72
36	उत्तराखंड	62	120	38	28	4	18
37	पश्चिम बंगाल	1	117	0	42	0	20
कुल		895	4950	270	1593	77	712

* लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को दवाइयों की आपूर्ति सीधे की जाती है।

अनुलग्नक-II

'जन औषधि दुकानों' के संबंध में श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा पूछे गए दिनांक 10.12.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *318 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा				
क्र.सं.	**राज्य/राज्य संघ क्षेत्र का नाम**	**समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की तारीख**	**विभाग/एजेंसी का नाम जिसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है**	**खोले गए जन औषधि केन्द्रों की संख्या**
1	**त्रिपुरा**	01.02.2014	त्रिपुरा मार्कफेड	10
2	**अरुणाचल प्रदेश**	26.06.2016	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, (रोगी कल्याण समिति) अरूणाचल प्रदेश सरकार	20
3	**आन्ध्र प्रदेश**	28.06.2016	स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	59
4	**कर्नाटक**	29.07.2016	ब्रुहत बैंगलोर महा नगर पालिका	6
5	**कर्नाटक**	02.10.2016	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार	146
6	**महाराष्ट्र**	27.12.2016	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	0
7	**केरल**	09.08.2017	तिरुवनंतपुरम जिला पंचायत, केरल सरकार	7
8	**उत्तर प्रदेश**	10.08.2017	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एसएसीएचआई), उत्तर प्रदेश सरकार	138
9	**गोवा**	29.11.2017	स्वास्थ्य सेवा निदेशक, गोवा सरकार	6
10	**झारखंड**	25.05.2018	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार	0
11	**मेघालय**	24.07.2019	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार	0

अनुलग्नक-III

'जन औषधि दुकानों' के संबंध में श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा पूछे गए दिनांक 10.12.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *318 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 05.12.2019 की स्थिति के अनुसार देश भर में सरकारी परिसरों में कार्यरत जन औषधि केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा		
क्र.सं.	**राज्य/राज्य संघ क्षेत्र का नाम**	**कार्यरत जन औषधि केन्द्रों की कुल संख्या**
1	अंडमान एवं निकोबार	2
2	आन्ध्र प्रदेश	35
3	अरूणाचल प्रदेश	21
4	असम	4
5	बिहार	33
6	चंडीगढ़	4
7	छत्तीसगढ़	167
8	दादर एवं नगर हवेली	0
9	दमन एवं दीयू	0
10	दिल्ली	10
11	गोवा	6
12	गुजरात	0
13	हरियाणा	7
14	हिमाचल प्रदेश	13
15	जम्मू एवं कश्मीर	37
16	झारखंड	14
17	कर्नाटक	161
18	केरल	6
19	लद्दाख	3
20	लक्ष्यदवीप	0
21	मध्य प्रदेश	4
22	महाराष्ट्र	1
23	मणिपुर	26
24	मेघालय	0
25	मिजोरम	9
26	नागालैंड	14
27	ओडिशा	22
28	पड्डुचेरी	0
29	पंजाब	29
30	राजस्थान	35
31	सिक्किम	0
32	तमिलनाडु	3
33	तेलंगाना	2
34	त्रिपुरा	22
35	उत्तर प्रदेश	142
36	उत्तराखंड	62
37	पश्चिम बंगाल	1
कुल		**895**

* लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को दवाइयों की आपूर्ति सीधे की जाती है।

*****